

22.01.2020-

पत्रावली पेश। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील उपस्थित।
रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगवाई गई।
बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं। इससे यह
प्रतीत होता है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील
प्रथाना - पत्र को लेकर गम्भीर नहीं है अतः
प्रथाना - पत्र अदम हाजिरी - अदम पैरवी में
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल नुमार होकर, नम्बर से कम
की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

HB Adv's
22/1/2020

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रक) सांचौर (जालोर)

